

कार्यालय उप वन संरक्षक, करौली(राज0)

(गदका की चौकी, करौली-322241, फोन नं 07464-297003, Email: def.kroli_forest@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ()वसु/उवसं/2022-23/ 5460
निमित्त,

दिनांक:-25/8/2022

अधिशायी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड सिकन्दरा, दौसा (राजरथान)।

विषय:-Diversification of 0.99 ha. Proposed road Alignment For "Construction of Missing Link Road From Udaipura Road To Toda Bheem Road" This Road to Connect Udaipura side Locality to Toda bheem side Habitation Area (ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/RJ/ROAD/26222/2017)

प्रसंग:-कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर के द्वारा दिनांक 24.08.2022 को लगाए गए आक्षेपों के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आलोच्य प्रकरण में कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर के द्वारा दिनांक 24.08.2022 को आक्षेप लगाए गए हैं, जो निम्नांकित हैं-

1. राज्य सरकार द्वारा जारी ईडीएस दिनांक 28 नवंबर 2021 की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गई है।
2. प्रस्ताव में आप द्वारा आपके प्रेषित Alternate Route Allignment Analysis sheet पर आपके हस्ताक्षर नहीं हैं।
3. जिला करौली द्वारा जारी किये जाने वाला एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट के संबंध में टिप्पणी/ Undertaking प्रेषित नहीं की गई है।

अतः आप उक्त आक्षेपों की अनुपालना कर राज्य सरकार द्वारा जारी ईडीएस दिनांक 28 नवंबर 2021 की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट प्रेषित करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सकें।

(सुरेश मिश्रा)
उप वन संरक्षक
करौली

क्रमांक:-एफ()वसु/उवसं/2022-23/

दिनांक:- / /2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजरथान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर।

उप वन संरक्षक
करौली

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कमरा नं. 14 (90) जयपुर, 2021

जयपुर दिनांक

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए
राजस्थान, जयपुर।

विषय: Diversion of 0.99 Ha Proposed Road Alignment for Construction of Missing Link Road From Udepura Road to Tota Bheem Road. This Road to connect Udepura side locality to Tota Bheem side habitation area (FPR ROAD 119192 2021)

संदर्भ: आपन पत्रक एफ 14()2017 एफसीए जयपुर 2944 दिनांक 21/10/2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदरित प्रस्ताव के संबंध में कृपया निम्न बिन्दु पर सूचना दिव्यणी भिजवाने का श्रम करावे-

1. उक्त प्रस्ताव में उप वन संरक्षक, करौली एवं मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर की अभिशंका / दिव्यणी संलग्न नहीं की गई है। पूर्ण प्रस्ताव भिजवावे।
2. उक्त प्रस्ताव के संबंध में वैकल्पिक मार्ग का Undertaking नहीं है।
3. जिला कलेक्टर दौसा द्वारा जारी एफआरए सर्टिफिकेट की मूल प्रति एवं जिला करौली द्वारा जारी किये जाने वाला एफआरए सर्टिफिकेट के संबंध में दिव्यणी Undertaking भिजवाने का श्रम करावे।
4. Statement show Detail of Non-Forest के संबंध में परस्तुत रिपोर्ट को दूरस्त कर भिजवाने का श्रम करावे।
5. प्रस्ताव में KML file की सी.डी. संलग्न नहीं है।
6. प्रस्ताव में निरीक्षण रिपोर्ट लगभग 3 वर्ष पुरानी है। कृपया नवीन निरीक्षण रिपोर्ट भिजवाने का श्रम करावे।
7. No Violation Certificate की प्रति संलग्न कर भिजवाने का श्रम करावे।
8. तकनीकी रिपोर्ट को उप वन संरक्षक, करौली द्वारा अधिपमाणित नहीं किया गया है।

भवदीय

L. S.

(लखन सिंह)

विशेषाधिकारी